

राष्ट्रीय लोक अदालत, हालटगंज, शाखा छतरपुर (पलामू)।

धारा-107 द0प्र0सं0

सत्र / 2019-20

मध्यस्थता सं0-

आदेश फलक

वाद संख्या-

274/18

शेखरी कुमारी

विरुद्ध

बना।

रामकृष्ण विश्व वंश

महर्षि

13/07/2019

न्यायालय-अनुमंडल दण्डाधिकारी, छतरपुर।

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित अवलोकन किया। उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित। इससे पतीत होता है कि इस वाद में पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं पैदा होने की सूचना अप्राप्त।

अतः इस वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सदस्य



सदस्य